इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2010—कार्तिक 7, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम, ;
- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2)- मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 7-18-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां क्रमश: स्थापित की जाए, परन्तु सेवा

भर्ती नियम 1977 के द्वारा सेवा में आये एवं पदोन्नत अधिकारियों पर संशोधित नियम लागू नहीं होंगे. संशोधन निम्नानुसार है अर्थात् :—

अनुसूची-एक (नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम

ा पदों की संख्या (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	वर्गीकरण (4) राजपत्रित प्रथम श्रेणी —तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव—	केडर वेतन+विशेष वेतन 37400—67000+ग्रेडपे 8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	- - -
1 1 2 7 1) 6 ग्रोजेक्ट) 2	राजपत्रित प्रथम श्रेणी तदैव तदैव तदैव तदैव 	केडर वेतन+विशेष वेतन केडर वेतन+विशेष वेतन 37400—67000+ग्रेडपे-8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
1 1 7 7 1) 6 1 गेजेक्ट) 2	राजपत्रित प्रथम श्रेणी तदैव तदैव तदैव तदैव 	केडर वेतन+विशेष वेतन केडर वेतन+विशेष वेतन 37400—67000+ग्रेडपे-8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
2 7 1) 6 गोजेक्ट) 2) 1	तदैव तदैव तदैव तदैव तदैव	केडर वेतन+विशेष वेतन 37400—67000+ग्रेडपे 8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
2 7 1) 6 गोजेक्ट) 2) 1	तदैव तदैव तदैव तदैव तदैव	केडर वेतन+विशेष वेतन 37400—67000+ग्रेडपे 8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
2 7 1) 6 गोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव—	केडर वेतन+विशेष वेतन 37400—67000+ग्रेडपे 8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
2 7 1) 6 गोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव—	37400—67000+ग्रेडपे-8700/- 15600—39100+ग्रेडपे 7600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
2 7 1) 6 ग्रोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव— —तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 7600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	1973 की धारा 3 के अनुसार. -
7 ा) 6े। ग्रोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव— —तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 7600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	के अनुसार. - -
7 ा) 6े। ग्रोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव— —तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 7600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	- -
ग्रोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव— —तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	-
ग्रोजेक्ट) 2) 1	—तदैव— —तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/- 15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	-
ग्रोजेक्ट) 2) 1	<u> </u>	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
). 1	/10 1 .		
		15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
ना) 1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	•
1	राजपत्रित प्रथम श्रेण	•	
	(प्रतिनियुक्ति).		
, 1 ·	-	णी 15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	_ •
ध्या) 1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	
योजना) 14	—तदैव—	1560039100+ग्रेडपे 5400/-	<u>-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
सर्वे/प्रोजेक्ट) 7	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 5400/	_
~ «.	—तदैव—		
योज सर्वे) 1 तना) 14 /प्रोजेक्ट) 7) 1 — तदैव— तना) 14 — तदैव— /प्रोजेक्ट) 7 — तदैव—) 1 — तदैव— 15600—39100+ग्रेडपे 5400/ तना) 14 — तदैव— 15600—39100+ग्रेडपे 5400/ /प्रोजेक्ट) 7 — तदैव— 15600—39100+ग्रेडपे 5400/

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	ं पद का नाम	पदों की	भरे जा	ने वाले कर्तव्य पदों	की प्रतिशतता
			कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (क) देखिये		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) .	(6)	(7)
आवास और पर्यावरण विभाग.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन राजपत्रित प्रथम श्रेणी सेवा.	(1) पर्यावरण आयुक्त	1	-	<u>-</u>	भारतीय प्रशासनिक सेवा

			7 5-2
भा	ग	4	(IJ)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

551

				·	7		
(1)	(2)	-	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
•		. (2)	आयुक्त-सह-संचालक	1	· 	_	—तदैव—
•			नगर तथा ग्राम निवेश.				
•		(<u>3</u>)	अपर संचालक	2	-	100%	- .
	•	(4)	संयुक्त संचा्लक	.7	_	100%	_
		(5)	उप संचालक (योजना)	6 .	-	100%	. <u>-</u>
		(6)	उप संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	2 .	_	100%	. – -
		(7)	उप संचालक (रिसर्च)	1	-	100%	*** -
		(8)	उप संचालक (स्थापना)	1		100%	
·. · · ·		(9)	लेखाधिकारी	1	- .	. –	प्रतिनियुक्ति
	द्वितीय श्रेणी	· (1)	सहायक संचालक (प्लानिंग)	14	50%	50%	-
1 ·		(2)	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोज.)	7	50%	50%	_
		(3)	सहायक संचालक (रिसर्च)	5	50%	(50% :	_
		.(4)	सहायक संचालक (स्था.)	1	- -	100%	_
		. (5)	प्रोग्रामर	1	100%		_

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता तथा आयु सीमा

विभाग का	सेवा का नाम	सेवा में पदों		अधिकतम	शैक्षणिक अर्हता
नाम (1)	(2)	के नाम (3)	आयु सीमा (4)	आयु सीमा (5)	(6)
आवास एवं पर्यावरण	मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सेवा.	ा (1) सहायक संचालक (योजना)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योजना स्नातक डिग्री/जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानसी
					इण्डिया की सह सदस्यता के लिए अर्ह है
					अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की सह सदस्यता, योजना तथा आर्किटेक्चर के संबंध में
			•		कम्प्यूटर साफ्टवेयर का ज्ञान होना अनिवार्य है.
		(2) सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	21 वर्ष	35 বর্ષ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या सर्वेक्षक संस्था भारत से अंतिम

विज्ञान में स्नातक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	* *				
		(3) सहायक संचालक (रिसर्च)	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/
					गणित/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि
• .					जिनके पास सांख्यिकी या/और नगर नियोजन कार्य में कम से कम दो
,					वर्षों का अनुभव हो उन्हें अधिमान दिया जायेगा.
		(4) प्रोग्रामर	. 21 वर्ष	35 वर्ष	जियोइन्फोमेटिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि
				•	या
٠			•		रिमोट् सेंसिंग में डिप्लोमा को सम्मिलित करते हुए कम्प्यूटर

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

पदोन्नित पदों के लिए अनुभव तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे	उस पद का नाम जिस पर		ोन्नति के लिए अपेक्षित व तथा अर्हता	विभागीय पदोन्नित समिति के सदस्यों के नाम
		पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की की जानी है	अनुभव	अर्हता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पर्यावरण	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन	1. संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अपर संचालक	संयुक्त संचालक के रूप में 7 वर्ष	नगर निवेश, क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन, भू-	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा
	(राजपत्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी सेवा)			की लगातार सेवा	दृश्य वास्तुकला, नगर रुपांकन, गृह निर्माण पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष	नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति- चेयरपूर्सन.
					नगर निवेश संस्था भारत की सह सदस्यता.	(2) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग—सदस्य.
. 4						(3) आयुक्त सह संचालक/ अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग-
	•			•		सदस्य.
		2. उप संचालक (योजना)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में 5 वर्ष की	किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय जो नगर निवेशक	तदैव
		:		लगातार सेवा	संस्था भारत से संबद्ध हो, से नगर निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि नगर निवेशक संस्था, भारत की	

1(1) (2	.).	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		•					
•	٠.				सह सदस्यता के लिए परीक्षा		
					उत्तीर्ण		
		3. उप संचालक	संयुक्त संचालक	उप संचालक के	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर	ਜ ਵੈਕ	
		(सर्वे/प्रोजे.)	• •	रूप में 5 वर्ष की	या समकक्ष उपाधि या सर्वेक्षक		
					संस्था भारत द्वारा आयोजित अंतिम		
				•	परीक्षा उत्तीर्ण.		
		· · ·		•			
		4. उप संचालक	संयुक्त संचालक	उप संचालक	अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/गणित/	तदैव	
		(रिसर्च)		के रूप में 5 वर्ष	वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान में	444	
			·	की लगातार सेवा	स्नातकोत्तर उपाधि तथा नगर		
•		·- ·		,	निवेश/क्षेत्रीय निवेश/यातायात एवं		
			· :		परिवहन/भू-दृश्य/वास्तु कला/		٠.
			-		नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण		
				•	में उपाधि.		
•			•		o ma.		
		द्वितीय श्रेणी	उप संचालक	सहायक संचालक		-4	
		1. सहायक	(योजना)	केरूप में 6 वर्ष	· —	तदैव	
		संचालक	(41-14)	की लगातार सेवा		· -	
	•	(योजना)		का राजातार सपा			
		(41441)		* * *	•	•	
	-	2. सहायक	उप संचालक	-4			
		. संचालक संचालक	०५ संचालक (सर्वे/प्रोजे)	तदैव	. —	तदैव	٠.
: ,		्स्याराया (सर्वे/प्रोजे)	(सव/प्राज)		•		
		(सप/प्राज)					
		2 Tierra			•		
		3. सहायक गंजानक (क्रिक्ट)	उप संचालक (कि.स.)	तदेव		तदेव	· · · - · · ·
		संचालक (रिसर्च)	(रिसर्च)				
•					•		
		4. सहायक	उप संचालक	तदैव	-	तदैव	
•		संचालक (स्थापना)	(स्थापना)			•	
. 1.12						-	-
		तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	मानचित्रकार के	वास्तुकला/सिविल इंजीनियरिंग	तदैव	
		अराजपत्रित	राजपत्रित	रूप में 5 वर्ष	में उपाधि या पत्रोपाधि		
		1. मानचित्रकार	सहायक संचालक	की सेवा		,	-
	-		(योजना)	•			
	5 + +					•	
. ,		2. उपयंत्री	सहायक संचालक		सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि	तदैव	
			(सर्वे/प्रोजेक्ट)	में 5 वर्षकी	या पत्रोपाधि		
		·		सेवा़ .	•	•	
•			•	, · · · ·	<i>'</i> -	•	
• .		3. वरिष्ठ रिसर्च	सहायक संचालक	रिसर्च सहायक के	भूगोल/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित/	तदैव	
		सहायक	(रिसर्च)	रूप में 5 वर्ष	सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर	- , ,	
			•	की सेवा	उपाधि		
					•		
	-	4. अधीक्षक	सहायक संचालक	अधीक्षक के रूप	स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	तदैव	٠.
•		•	(स्थापना)	में 4 वर्ष की सेवा		મયુત્ર	

No. F. 7-18-2009-XXXII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and Class II) Service Recruitment Rules, 1977, namely:—

AMENDMENT

In the said rules for Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall respectively be substituted,

provided that the revised rules will not be applicable to the officers appointed and promoted under service Rule, 1977. The substitution is as follows namely:—

SCHEDULE-I

(See Rule-5)

Classification, Scale of Pay and Number of posts included in the service

Se.	Name of posts included in service	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Duty Post		-		
. 1	Environment Commissioner	1	Gazetted Class I (service)	Cadre pay + Special Pay.	
2	Commissioner-cum-Director, Town and Country Planning	1	—do—	Cadre pay + Special Pay	As per Section 3 of T & CP Act, 1973.
3	Additional Director	. 2	do	37400—67000+GP8700	
4	Joint Director	7	—do—	15600—39100+GP7600	
5	Deputy Director (Planning)	. 6	—do—	1560039100+GP6600	
6	Deputy Director (Survey Project)	2	—do—	15600-39100+GP6600	
7	Deputy Director (Research)	1	—do—	15600—39100+GP6600	
8	Deputy Director (Establishment)	1	—do— .	15600—39100+GP6600	•
9	Accounts Officer	- 1	Gazetted Class-I	1560039100+GP6600	* <u>-</u>
		•	(Deputation)		
10	Programmer	1	Gazetted Class-II	15600—39100+GP5400	,
11	Assistant Director (Establishment)	1	—do—	1560039100+GP5400	
12	Assistant Director (Planning)	14	do	15600—39100+GP5400	٠.
13	Assistant Director (Survey/Project)	7	—do—	15600-39100+GP5400	
14	Assistant Director (Research)	5	—do—	15600-39100+GP5400	

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of service	Name of Post	Total No. of	Percent	age of the No. of to be filled in	duty posts
(1)	(2)	(3)	posts (4)	By Direct recruitment vide rule 6(a) (5)	By promotion of members of the service vide rule 6(b) (6)	By transfer of persons from other services vide rule 6(c)
Housing and Environment Department	Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class-I) Service.	Environment Commissioner	1	-		Indian Administra- tive service.
		Commissioner cum Director Town and Country Plannin	1 g .	-	·	Indian Administra- tive service.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Additional Director	2 .	-	100%	
		4. Joint Director	7.		100%	<u>.</u>
		5. Deputy Director (Planning)	6	·	100%	-
		6. Deputy Director (Survey/Project)	2		100%	
		7. Deputy Dierctor (Research)	1		100%	•
		8. Deputy Director (Establishment)	. 1	-	100%	- -
	•	9. Accounts Officer	1	-	· -	By Deputation
,	Class-II	1. Assistant Director (Planning)	14	50%	50%	<u>,2</u> ,
		2. Assistant Director (Survey/Project)	7	50%	50%	-
		3. Assistant Director (Research)	5	50%	50%	
		4. Asstt. Director (Estt.)	i	-	100%	
		5. Programmer	1.	100%		· •

SCHEDULE-III (See Rule-8) Essential qualification and age limit of direct recruitment

Name of Deptt.	Name of service	Name of posts in the service	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Educational qualification
(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Housing and Environment Department	M. P. Town and Country Planning Gazetted (Class-II) service.	1. Assistant Director (Planning)	21 Years	35 Years	Degree in Planning from recognized University which is eligible for the associated membership of the Institute
					of Town Planners India. OR
			•	•	Associated membership Institute of Town Planner
					(India) having compulsor knowledge of Computer soft
					ware regarding Planning and Architecture.

Additional

(1)	<u>:</u> ,	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Assistant Dir (Survey/Proje		35 Years	Degree or equivalent Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute. OR Final examination pass by Survey Institute India.
			3. Assistant Di (Research)	rector 21 Years	35 Years	II Class post graduate degree in Economics/Geography/ Statistics/Mathematics/Com- merce/Social Science from a recognized University.
						Preference will be given to those who have at least two years experience of statistical or/and Town Planning Work.
			4. Programmer	21 Years	35 Years	Post Graduate degree in Geo informatics OR Graduation in Computer Science including Diploma in Remote Sensing.

 $(See\ Rule-14)$ Experience and other qualification for promotion posts

Name of Department	Name of service	post from powhcih promotion is to promote made is	Name of post to	Experience and required for Depart	Name of members of the	
	(2)		which promotion is to be made (4)	Experience (5)	Qualification (6)	departmental promotion committee
(1)					. (9)	
	Class-I	•				
Housing and Environment Department	M. P. Town and Country Planning (Gazetted Class I & H service)	1. Joint Director	Additional Director	7 years continuous service as Joint Director.	Post graduate degree or post graduate diploma in Town Planning, Regional Planning, Traffic and Transportation, Landscap Architecture, Urban Desand Housing, Environme Planning or equivalent of Fellowship or membersh of the Institute of Town Planners India.	any person oe, nominated by ign him Chairper- ent son. or 2. Principal ip Secretary/Secre-
						3. Commissioner cum-Director/

भाग 4 (ग)]	मध्यप्रदेश 	557			
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)					Director Town and Country Planning depart- ment- Member.
	2 Deputy Join	nt	5 years	Post graduate in Town	do
		ector	continuous service as Deputy Director	Planning from any reco- gnized University which is affiliated by institute of Town planners, India;	·
•				examination passed for associate membership of institute of Town planners, India.	· ·
	3. Deputy Joi Director Di (Survey/ Project)	nt rector	5 years continuous service as Deputy Director	Post graduate degree or equivalent in Civil Engineering OR Passed final examination	do
				conducted by the Institute of Surveyors, India.	
		int irector	5 years continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Economics/Geography/ Statistics/Mathematics/ Commerce/Social Science and a degree or diploma	
			war and the same a	in Town Planning/Regional	
				Planning/Traffic and Transportation/Landscape/ Architecture/Urban Design and Housing.	
	Class II				
· · · · · ·		Deputy Director Planning)	6 years continuous service as Assistant	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	do
			Director.		. •
	Director I	Deputy Director	—do		—do-—
		Survey/ Project)			
	Director 1	Deputy Director (Research)	—do—		—do—
	Director (Establishment) Class III	Deputy Director (Estt.)	do	-	do
		Assistant Director (Planning)	5 years Service as Draftsman	Degree or Diploma in Architecture/Civil Engineering.	do

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
÷	·	2. Sub Engineer	Assistant Director (Survey/ Project)	5 years Service as Sub-Engineer	Degree or Diploma in Civil Engineering.	—do—
		3. Senior Research Assistant	Assistant Director (Research)	5 years Service as Senior Research Assistant	Post Graduation Degree in Geography/Economics/ Statistics/Maths/Social Science.	do
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4. Superintendent	Assistant Director (Estt.)	4 years of Service as Superinten- dent.	Graduate and Accounts training pass.	do

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामेश्वर गुप्ता, उपसचिव.

मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

<u>मंत्रालय</u> / / शुद्धिपत्र / /

भोपाल, दिनांक २०११ – ,201१ कमांक एफ 7–18/2009/बत्तीस— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 की अनुसूची —चार में संशोधन किया जाता है।

2/ राज्य शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर,2010 में कतिपय त्रुटियां सामने आने पर एतद्द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :—

/ / <u>अनुसूची "चार"</u> / / <u>नियम—14</u> देखिए

तृतीय श्रेणी अराजपत्रित के सरल कं.1,2 एवं 3 के कॉलम-6 में "विहीत शेक्षणिक अर्हता विलोपित की जाती है" (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) ।
 सरल कमांक-3 के कॉलम-5 में रिसर्च सहायक के स्थान पर वरिष्ठ रिसर्च सहायक पढ़ा जावे (केवल प्रकाशित हिन्दी के भाग में)।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> (आशीष सक्सेना) उप सचिव मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग